PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi

Tuesday, 27th July 2010, Page: 4

Width: 4.11 cms Height: 19.60 cms, Ref: pmin.2010-07-27.60.30

'दवाओं की तस्करी रोकने को सरकार बनाए पुख्ता नीति'

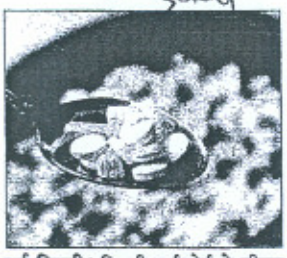

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमार यात्रियों के जरिए विदेशों से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए सरकार को कारगर नीति बनाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायाधीश मूलचंद गर्ग की खंडपीठ ने हवाई यात्रा करने वाले मरीजों की दवाओं के साथ चोरी से आ रही मादक दवाओं पर चिंता जताते हुए विदेश और गृह मंत्रालय से जवाब-तलब किया है। अदालत ने दोनों मंत्रालयों से इस समस्या से निपटने के लिए दो सप्ताह के भीतर पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। कोर्ट ने सुझाव के तौर पर कहा कि सरकार भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत होने के लिए वीजा आवेदन के साथ डॉक्टर का प्रमाणपत्र भी संलग्न करना अनिवार्य कर सकती है जिससे बीमार यात्री डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को साथ ला सकें।

कोर्ट ने सरकार को इस दिशा में उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार कर 17 अगस्त तक पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। केन्द्रीय नार्कोटिक ब्यूरो की ओर से कोर्ट को बताया गया कि तस्कर नशीली दवाओं को भारत भेजने के लिए मरीजों का इस्तेमाल करते हैं। तस्कर मरीजों की दवाओं के साथ नशीली दवाएं भी भेज रहे हैं। अदालत ने सरकार को ऐसी नीति बनाने को कहा जिससे उन चुनिंदा देशों के यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके जहां से सबसे ज्यादा दवाओं की तस्करी हो रही है। (का.सं.)